UPMB010000542025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,सी०ए०डब्लू०,महोबा
उपस्थित–अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP 2700
दाण्डिक निगरानी संख्या–02/2025

डा० प्रवीन कुमार बाजपेयी उम्र 42 वर्ष पुत्र डा० श्री घनश्यामदास बाजपेयी निवासी छजमनपुरा महोबा परगना व तहसील महोबा जिला महोबा (उ०प्र०)

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1.सरकार उत्तर प्रदेश। .....औपचारिक विपक्षी

2.अनूप कुमार द्विवेदी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण द्विवेदी निवासी ग्राम रैवारा थाना कबरई जिला महोबा (उ०प्र०) .....विपक्षी

अन्तर्गत धारा–438 बी०एन०एस०एस०

थाना–कबरई,जिला महोबा

<u>निर्णय</u>

1. यह दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता डा० प्रवीन कुमार बाजपेयी द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा जिला महोबा के परिवाद संख्या–305/2024 कम्प्यूटर संख्या 988/2024 डा० प्रवीन कुमार बाजपेयी बनाम अनूप कुमार द्विवेदी धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506, 120 बी भा०दं०सं० थाना कबरई जिला महोबा में पारित आदेश दिनांकित 10.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, आक्षिप्त आदेश से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा निगरानीकर्ता का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत खारिज किया गया है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता /परिवादी डा० प्रवीन कुमार द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष के समक्ष एक परिवाद विपक्षी संख्या –2 अनूप कुमार द्विवेदी के विरूद्ध योजित किया गया। विचारण न्यायालय में निगरानीकर्ता/परिवादी ने स्वयं को धारा 200 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत तथा मनोज कुमार व अरूण कुमार को धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराया। विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निगरानीकर्ता/परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत खारिज किया जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गयी है।

3. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 खिलाफ कानून व खिलाफ वाक्यात है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही तरीके से परिशीलन नहीं किया गया है और बिना किसी आधार के निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० में खारिज करके भूल की गयी है। विपक्षी संख्या–2 अनूप कुमार द्विवेदी सहारा क्रेडिड कोपरेटिव सोसायटी लि० कपूरथला काम्पलेक्स अलीगढ़ लखनऊ रजि०नं०–एम०एस०सी०एस० /सी०आर०/ 333/2010 शाखा महोबा फतेहपुर बजिरया ब्रान्च कोड 62331017 में एजेन्ट प्रतिनिधि के पद पर कार्यरत हैं एवं उसका प्रतिनिधि कोड 473512 है। विपक्षी सं0–2 अनूप कुमार द्विवेदी द्वारा अपनी गारन्टी पर उक्त सहारा केडिड कोपरेटिव सोसायटी लि० शाखा महोबा में प्रार्थी की आर०डी० मु० –500/–रू० प्रतिदिन के हिसाब से दिनांक 09.09.2019 ई० को दो वर्ष के लिये खोली गई थी। तथा आर०डी० खोले जाने के उपरान्त उससे विपक्षी सं०–2 अनूप कुमार द्विवेदी द्वारा प्रतिदिन 500/– रू० प्राप्त किया जाता रहा है। अनूप कुमार द्विवेदी ने उसको यह भी आश्वासन दिया था कि आर०डी० की अवधि दो वर्ष पूर्ण हो जाने पर 90 दिन के अन्दर जमा की गई धनराशि मय ब्याज के अदा कर दी जायेगी। उसने विपक्षी सं0–2 के कहने पर उक्त खोली गई आर०डी० में दो वर्ष तक प्रतिदिन 500/– रू० विपक्षी सं0–2 अनूप कुमार द्विवेदी के पास जमा किया है जिसका कुल योग मु0–3,65,000/–रू० होता है। जिसकी अवधि पूर्ण हो जाने पर विपक्षी सं0–2 ने जमा राशि एवं दो वर्ष का बैंक दर का ब्याज विपक्षी सं0–2 द्वारा अदा न करके उसके साथ सरेआम धोखाधड़ी की गई है। विपक्षी सं0–2 ने विश्वास में लेकर धोखा एवं फरेब से उससे धन वसूला जो कि अपराधिक कृत्य है जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर त्रुटि की गई है। विपक्षी सं0–2 अनूप कुमार द्विवेदी ने बतौर गारन्टी एक किता तहरीर अपने हस्ताक्षर बनाकर उसको बतौर गारन्टी दी गई थी। जो उसके पास बतौर साक्ष्य मौजूद है जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर सरसरी तौर पर परिवाद धारा–203 द०प्र०सं० के अन्तर्गत खारिज करके त्रुटि की है। जबकि उसके साथ विपक्षी सं० –2 द्वारा की गई धोखाधड़ी प्रथम द्रष्ट्या साबित है। उसने अपने साथ मनोज कुमार पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम शाहपहाड़ी व अरूण कुमार पुत्र श्री नाथूराम निवासी नयापुरा नैकाना महोबा थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा को लिवाकर दिनांक–11.02.2024 को समय करीब 12.30 बजे दिन विपक्षी सं०–2 अनूप कुमार द्विवेदी के स्थित आवास ग्राम रैवारा थाना कबरई जिला महोबा जाकर बाहर बुलाकर अपने उक्त रूपयों की माँग की तो विपक्षी सं0–2 ने अनूप कुमार द्विवेदी ने उसको माँ बहिन की बुरी–बुरी गालियाँ दी और

जान से मारने की धमकी देते हुये मारने–पीटने पर आमादा हो गया। शोर शराबा सुनकर तमाम लोग एकत्रित हो गये जिन्होंने एवं साथ में गये उक्त लोगों ने बीच बचाव किया तथा उनके द्वारा विपक्षी सं0–2 अनूप कुमार द्विवेदी से उसका जमा कराया रूपया देने के लिये कहा तो विपक्षी सं०–2 द्वारा उसका रूपया देने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुये भगा दिया। उसने घटना की सूचना थाना कबरई में दी जिस पर कोई कार्यवाही नही हुई जिससे उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थनापत्र थानाध्यक्ष कबरई की सेवा में दिनांक 14.07.2024 को प्रेषत किया जिस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई है तब उसने श्री मान् पुलिस अधीक्षक महोबा की सेवा में जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक–19.02.2024 को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया जिस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई। जिससे उसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया और धारा–200 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत स्वयं को परीक्षित कराया एवं पी०डब्लू0–1 के रूप में मनोज कुमार व पी०डब्लू0–2 के रूप में अरूण कुमार को परीक्षित कराया गया जिन्होंने घटना का वखूबी समर्थन किया जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा ध्यान नही दिया तथा सरसरी तौर पर परिवाद धारा–203 द०प्र०सं० के अर्न्तगत खारिज करके विधिक त्रुटि की गई है। विपक्षी सं०–2 को परीक्षण के लिलए न्यायालय में तलब किये जाने हेतु अवर न्यायालय की पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है जिसे विद्वान अवर न्यायालय ने नजरंदाज करके परिवाद निरस्त करने का आदेश पारित करके विधिक त्रुटि की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,महोबा के आदेश दिनांक 10.12.2024 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क इस आशय का किया गया है कि विपक्षी अनूप कुमार द्विवेदी द्वारा अपनी गारंटी पर उक्त सहारा क्रेडिड कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में निगरानीकर्ता से प्रतिदिन 500/–रू० की आर०डी० दिनांक 09.09.2019 को खोली गयी थी। निगरानीकर्ता ने विपक्षी की गारंटी पर ही यह आर०डी० खोली थी परन्तु विपक्षी के आश्वासन के बावजूद भी दो वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद आर०डी० में जमा की गयी धनराशि मय ब्याज के वापस नहीं मिली है। उक्त धनराशि मांगने पर विपक्षी द्वारा गाली–गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी है। इस सम्बन्ध में निगरानी न्यायालय का मत है कि निगरानीकर्ता द्वारा आर०डी० जमा करने की संविदा सहारा क्रेडिड कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड से की गयी थी न कि विपक्षी से। स्वयं निगरानीकर्ता ने इस बात को स्वीकारा है कि विपक्षी उक्त कम्पनी में एजेन्ट था। ऐसे में विपक्षी द्वारा दिया गया आश्वासन कम्पनी द्वारा संविदा के अधीन की

गयी शर्तो के अन्तर्गत दिया गया। यदि कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों से फ्राड किया जाता है तो उसका दायित्व कम्पनी का होता है न कि एजेन्ट का। सहारा क्रेडिड कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड से सम्बन्धित विभिन्न वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सभी वैध दावों को प्राप्त करने के लिए सहारा रिफण्ड पोर्टल पर पंजीकरण किये जाने हेतु वैध दावेदारों को सुविधा प्रदान की है। जिससे वह कम्पनी से सम्बन्धित देनदारियों का निपटारा कर सकें। स्वयं विपक्षी की ओर से भी दौरान बहस यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निगरानीकर्ता द्वारा भी आर०डी० की धनराशि हेतु सम्बन्धित पोर्टल पर आवेदन किया जा चुका है। जहॉ तक निगरानीकर्ता का यह कथन है कि निगरानीकर्ता ने विपक्षी से देनदारी के बावज पैसे मांगे, उस सम्बन्ध में विपक्षी का निगरानीकर्ता को पैसे वापस करने का कोई दायित्व नहीं है। पैसे न वापस करने की दशा में गाली–गलौज के सम्बन्ध में भी निगरानीकर्ता द्वारा विशिष्ट गाली के शब्द का प्रयोग साक्ष्य में नहीं किया गया है। प्रतीत होता है कि मामले को रंगत देने के लिए व धनराशि वापस प्राप्त कराने के लिए उपरोक्त अभिकथन किये गये हैं। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय की एक प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस भेजी जाये।

दिनांकः 06.07.2026

(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०, महोबा।

निर्णय, आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 06.07.2026

(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०, महोबा।

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2026.07.06 16:22:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court